

## सूचना कैंटीन ठेका हेतु






सत्र 2024 -25 राजकीय महाविद्यालय भोरंज (तरक्वाड़ी)( हि0 प्र0)


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय महाविद्यालय भोरंज की कैंटीन का वार्षिक ठेका वर्ष 2024-25 हेतु दिया जाना अपेक्षित है। ग्रामीण परिवेश को देखते हुए महाविद्यालय प्रशासन ने कैंटीन का मासिक किराया 1000/- रुपए निर्धारित किया है, जिसके लिए इच्छुक व्यक्तियों से निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। इच्छुक प्रत्याशी को कैंटीन में बेची जाने वाली वस्तुओं के दाम एक फार्म पर भर कर निविदा के साथ महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करवाने होंगे। महाविद्यालय कैंटीन में बेची जाने वाली वस्तुओं की सूची व इससे संबंधित सभी शर्तें महाविद्यालय द्वारा पूर्वनिर्धारित की गयी है जो कि महाविद्यालय के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि साथ लगाएं। महाविद्यालय के कार्यालय में निविदाएं अपने आवेदन सहित दिनांक 12 /07/2024 सायें 2 :00 बजे तक दे सकतें हैं। निविदाएं 13 /07 /2024 को ही प्राचार्य कार्यालय में शाम को 3:00 बजे खोली जाएंगी। जिस आवेदक को कैंटीन का ठेका आवंटित होगा उसे धरोहर राशि 15000+5000 रुपए ( बिजली का किराया)=20000 का 10 % दो दिन के भीतर प्राचार्य कार्यालय में जमा करवानी होगी अन्यथा ठेका अगले आवेदक को दे दिया जायेगा। शेष राशि पांच दिन के भीतर जमा करवानी होगी। यदि आवेदक पांच दिन के भीतर राशि जमा नहीं करवाता है तो ठेका अगले आवेदक को दे दिया जायेगा। इस स्थिति में पहले आवेदक द्वारा जमा करवाई गयी 10 % राशि वापस नहीं होगी। जिस आवेदक को कैंटीन का ठेका दिया जायेगा, उसे महाविद्यालय प्रशासन के साथ महाविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की स्वीकारोक्ति शपथ-पत्र पर देनी होगी।

प्रतिलिपि निम्न स्थानों पर लगाई गयी :-

- 1 महाविद्यालय सूचना पट्ट
- 2 वर्षा शालिका कंज्याण
- 3 बस अड्डा तरक्वाड़ी
- 4 महाविद्यालय जलपान गृह
- 5 महाविद्यालय वेबसाइट
- 6 बस्सी बस अड्डा

कैंटीन कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

  
PRINCIPAL  
प्रचार्य  
Govt. College Bhoranj (Tarkwari)  
Distt. Hamirpur (H.P.)-177025


## कैंटीन ठेके हेतु नियम और शर्तें


1. ठेके की अवधि आरम्भ में शैक्षणिक सत्र (2024 - 25) जो जून 2025 तक होगी, ठेकेदार की संतोषजनक सेवाओं का आकलन करते हुए ठेके की अवधि को आगामी शैक्षणिक सत्र जुलाई 2025-26 तक बढ़ाया जा सकता है, जो की प्राचार्य द्वारा निर्णीत किया जायेगा।
2. जिस आवेदक को कैंटीन का ठेका आवंटित होगा उसे धरोहर राशि **15000+5000** रुपए ( बिजली का किराया) = **20000** का 10 % दो घंटे के भीतर प्राचार्य कार्यालय में जमा करवानी होगी अन्यथा ठेका अगले आवेदक को दे दिया जायेगा।
3. धरोहर राशि ठेका समाप्त होने पर प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय भोरंज से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N O C ) प्राप्त होने पर वापिस लौटा दी जाएगी।
4. मासिक किराया प्रत्येक महीने की दस तारीख से पहले देना पड़ेगा अन्यथा उस महीने के लिए 10% अतिरिक्त किराया लिया जायेगा।
5. ठेकेदार को कैंटीन को सभी कार्यदिवसों पर सुबह 6:00 बजे से सायं 5:00 बजे के बीच खुली रखनी पड़ेगी तथा महाविद्यालय सभी रविवार और सार्वजनिक अवकाशों पर बंद रहेगा यदि अवकाश वाले दिन महाविद्यालय में कैंटीन खोलना आवश्यक होगा तो उसे कैंटीन खोलनी पड़ेगी।
6. महाविद्यालय को यह अधिकार होगा की अगर कोई राशि वसूल या समायोजित करनी होगी तो ठेकेदार की जमा धरोहर राशि से काट सकते हैं।
7. ठेकेदार को कैंटीन के सञ्चालन के लिए कैंटीन पर्याप्त कर्मचारी काम पर लगाने होंगे, ठेकेदार को वही व्यक्ति काम पर लगाने होंगे जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा वे किसी भी संक्रमण से ग्रसित न हो उनका मेडिकल प्रमाण-पत्र कैंटीन में लगाना अनिवार्य है तथा उनके आवास की व्यवस्था भी ठेकेदार को ही करनी होगी वे रात को कैंटीन में निवास नहीं कर सकते।
8. ठेकेदार को कैंटीन में जरूरी सामान जैसे खाना पकाने के लिए गैस चूल्हा, गैस सिलिंडर, बर्तन, माइक्रोवेव, फ्रिज आदि का इंतजाम खुद से करना होगा।
9. कैंटीन की सफाई और स्वच्छता को बनाये रखना और कचरे के निपटान की जिम्मेदारी और खर्चा ठेकेदार का होगा।
10. गैस और बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय आग लगने से सुरक्षा का ध्यान रखे, किसी तरह की ढील में नुकसान की भरपाई ठेकेदार को ही करनी होगी।
11. कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ किसी चोट या दुर्घटना की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
12. ठेकेदार को कैंटीन में सुझाव पुस्तिका का प्रावधान करना होगा जिसकी जांच समय समय पर प्राचार्य द्वारा गठित समिति द्वारा की जाएगी और उसी अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
13. खाने की गुणवत्ता/सेवा की जांच समय समय पर की जाएगी और यदि असंतोषजनक पायी जाएगी तो ठेका बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जायेगा, प्राचार्य का निर्णय अंतिम और ठेकेदार को मान्य होगा।
14. ठेकेदार महाविद्यालय परिसर का उपयोग बाहरी लोगों के लिए नहीं कर सकेगा।

15. बिजली तथा पानी के बिल का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
16. कैटीन में धूम्रपान, नशीले और तम्बाकू उत्पादों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा और कैटीन में रेगिंग की किसी घटना को तुरंत महाविद्यालय प्राचार्य के ध्यानार्थ में लाया जाये।
17. यदि एकल निविदा प्राप्त होगी तो राजकीय महाविद्यालय भोरंज के प्राचार्य के पास कार्य के आबंटन का अधिकार है।
18. किसी प्रकार का मतभेद सक्षम न्यायालय और मंच जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन आता है।
19. महाविद्यालय द्वारा ठेकेदार को फर्नीचर व अन्य स्थापित सामान की सूची दी जाएगी जिसका रख-रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। गुम होने या टूटने की स्थिति में उसके नुकसान की भरपाई ठेकेदार को करनी होगी तथा कैटीन की मरम्मत व रख-रखाव का खर्चा ठेकेदार को उठाना होगा।
20. अगर किसी भी पक्ष की ओर से ठेका निरस्त किया जाता तो उसे एक माह पहले सूचना देनी होगी।
21. महाविद्यालय के स्टाफ सदस्यों को कमरों में सामान पहुँचाना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
22. ठेकेदार द्वारा विद्यार्थियों को दिए गए उधार इत्यादि के मामले में महाविद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
23. कैटीन की ठेका अवधि समाप्त होते ही, ठेकेदार को तुरंत कैटीन खाली करनी होगी।
24. ठेकेदार को मूल्य सूची कैटीन में लगानी होगी व दर्शायी गई वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य सामान वह कैटीन में नहीं बेच सकेगा। ठेकेदार के द्वारा निविदा में भरी गयी वस्तुओं की दरों के अनुसार ही बिक्री कर सकेगा।
25. यदि ठेकेदार तय नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है तो यह महाविद्यालय अनुबंध को रद्द कर सकता है।
26. कैटीन का ठेका उसी ठेकेदार को दिया जायेगा जो सूची में दर्शायी गई अधिकतम वस्तुओं को कम मूल्य पर उपलब्ध करवाएगा। कैटीन का ठेका जिस ठेकेदार को नामित होगा उसे बाकि बची हुई वस्तुएं भी कम मूल्य पर उपलब्ध करवानी होंगी।

आबंटन के मामले में सफलतम निविदाकार/ठेकेदार को उपर्युक्त सभी नियम और शर्तों का स्वीकारोक्ति शपथ पत्र जमा करवाना होगा।

कैटीन कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर

1. Ravi Dutt
2. 
3. Nangh Kumar
4. Prof. Tinkraj
- 5.






  
 प्राचार्य  
 PRINCIPAL  
 Govt. College  
 राजकीय महाविद्यालय भोरंज  
 Dist. Hamirpur (H.P.)-177025


## Menu Mandatory Items

Annexure-a

Sr. No.	Name of Item	Quantity/Quality Standard Size	Rate
1.	Tea cup(One cup tea)	Per cup, 125 ml	↓ Specimen ↓
2.	Coffee (One cup coffee)	Per cup, 125 ml	
3.	Milk (one cup milk)	125ml	
4.	Green Tea (One cup green tea)	125 ml	
5.	One Piece Bread slice	Per pc	
6.	Two Piece Bread slice	Per pc	
7.	Two pieces veg. Sandwich	Per pc	
8.	Bread Pakoda	Per pc	
9.	Samosa	Per pc(150gm)	
10.	Laddoo	Per kg	
11.	Mutter	Per kg	
12.	Besan	Per kg	
13.	Burfi	Per kg	
14.	Gulab jamun	Per kg	
15.	Rasgulla	Per kg	
16.	Pakoda	Per kg	
17.	Paneer Pakoda	Per kg	
18.	Channa plate	Per plate	
19.	Channa bhatura	Per plate	
20.	Aloo veg. Parantha	Per pc	
21.	Lunch (Rajmah rice or curi chawal)	Per Plate(Full/Half)	
22.	Packed item	On M.R.P.	

### Canteen Committee:-

1. Prof Ravi Dutt 
2. Dr. Asha Devi 
3. Dr. Naresh Kumar 
4. Dr. Vivek Chand 
5. Prof. Tilak Raj 
6. Ms. Suman Lata (Supdt. G-I)

  
 Principal  
 PRINCIPAL  
 Govt. College, Bhorani (Tarkwari)  
 Distt. Hamirpur (H.P.)-177025

<b>PRICE BID PERFORMA TO BE FILLED BY THE FIRM/PARTY/CONTRACTOR/BIDDER ETC.</b>			
<b>Sr. No.</b>	<b>Name of Item</b>	<b>Quantity/Quality Standard Size</b>	<b>Rate</b>
1.	Tea cup(One cup tea)	Per cup, 125 ml	
2.	Coffee (One cup coffee)	Per cup, 125 ml	
3.	Milk (one cup milk)	125ml	
4.	Green Tea (One cup green tea)	125 ml	
5.	One Piece Bread slice	Per pc	
6.	Two Piece Bread slice	Per pc	
7.	Two pieces veg. Sandwich	Per pc	
8.	Bread Pakoda	Per pc	
9.	Samosa	Per pc(150gm)	
10.	Laddoo	Per kg	
11.	Mutter	Per kg	
12.	Besan	Per kg	
13.	Burfi	Per kg	
14.	Gulab jamun	Per kg	
15.	Rasgulla	Per kg	
16.	Pakoda	Per kg	
17.	Paneer Pakoda	Per kg	
18.	Channa plate	Per plate	
19.	Channa bhatura	Per plate	
20.	Aloo veg. Parantha	Per pc	
21.	Lunch (Rajmah rice or curi chawal)	Per Plate(Full/Half)	
22.	Packed item	On M.R.P.	

(Signature of bidder)

With seal / stamp

Note:- (1) The rates should be quoted and signed by the responsible/authorized person of the tenderer.

(2) The rate must be mentioned in figures.

(3) No overwriting/cutting is allowed.

## Basic Detail of Firm

Sr.No.	Particular of Firm/Person/Contractor/Bidder	Relevant detail to be submitted
1.	Name of Tendered/Bidder	
2.	Full Address	
3.	Telephone No./Mobile No.	
4.	E-Mail Address(if any)	
5.	Aadhar Number	
6.	Experience if any (in years)	

**Note:- Attach copy of aadhar card as address proof.**